प्रेस नोट **03/09/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएसजे/एफटीसी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03–09–2024 को मु0अ0सं0 533/11 धारा 376,120बी भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र नवल किशोर निवासी भुवलपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹10,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) के निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-134), हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने मां के नाम से क्रय की गयी अचल संपत्ति व उस पर बना बेशकीमती मकान (लगभग 01 करोड़ 8 लाख रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अर्न्तगत किया गया कुर्क-

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-134), हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा उर्फ अमित कुमार वर्मा निवासी भीटी हनुमान मन्दिर के सामने हरिद्वार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 236/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मां श्रीमती कान्ति देवी पत्नी कन्हैया ठठेरा उर्फ कन्हैया वर्मा निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के नाम से मौजा भीटी तहसील सदर जनपद मऊ में गाटा संख्या 900 रकबा 0.324हे0 मे से रकबा 0.016 हे0 जमीन क्रय कर उस पर आलीशान मकान का निर्माण किया गया है जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1,07,88,000 रूपये है, क्रय किया गया है जबकि उसकी माता केवल दृश्यमान स्वामिनी हैं। उक्त अचल सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी उक्त अमित ठठेरा ही है तथा उक्त भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिये करता है। इनके पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 17.08.2024 को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 28.08.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 03.09.2024 को थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड उस पर बने बेशकीमती मकान का को कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित ठठेरा-

1. मु0अ0सं0 543/2022 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु00सं0 555/2022 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 556/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 372/2019 धारा 498I/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
5. मु00सं0 16/2018 धारा 147/323/336/452/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 444/2017 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 354/2018 धारा 307/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
8. मु0अ0सं0 355/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
9. मु0अ0सं0 313/2017 धारा 406 भादवि थाना कोतवाली नगर जनद मऊ।
10. मु0अ0सं0 236/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मऊ।

03 वांछित तथा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वार जरिये मुखबिर की सूचना पर खुरहट तिराहा के पास से मु0अ0सं0 159/24 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 18 पॉक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी जमीन नरैनी चकिया थाना मुहम्मदाबाद, कोपागंज पुलिस द्वारा बसारतपुर के पास से मु0अ0सं0 187/24 धारा 498ए, 304बी भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र डब्बू कुमार, रीता देवी पत्नी डब्बू कुमार निवासीगण बसारतपुर थाना कोपागंज, कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त गुड्डू उर्फ मो0 अशरफ पुत्र मो0 असलम निवासी बाग अदरे थाना कोपागंज तथा सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त देवदत्त गिरी पुत्र कन्हैया गिरी निवासी मुंगेसर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जुए खेलते 08 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से तास के 52 पत्ते व 2441 रुपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.09.2024 को मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर नेवादा बाग में पोखरा के पास जुआ खेल रहे 08 अभियुक्तगण प्रिंस मल्ल पुत्र विनोद मल्ल, दुर्गेश गोंड पुत्र अनिल दत्त निवासीगण उसुरी, औरंगजेब पुत्र इलताफ शाह निवासी सुग्गी चौरी, घुरा कनौजिया पुत्र शंभु धोबी निवासी भरथिया, सन्नी कुमार पुत्र पतिचन्द्र कनौजिया निवासी नेवादा, अभिषेक राजभर पुत्र मानदेव राजभर, भोलू पुत्र नीबूलाल,

जमील अहमद पुत्र वलीजान अहमद निवासीगण गांगेबीर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से तास के 52 पत्ते व कुल 2441 रुपये तथा 08 मोबाईल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्तो के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 13 उ0प्र0 सार्वजनिक द्युत अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. प्रिंस मल्ल पुत्र विनोद मल्ल निवासी उसुरी थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. दुर्गेश गोंड पुत्र अनिल दत्त निवासी उसुरी थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. औरंगजेब पुत्र इलताफ शाह निवासी सुग्गी चौरी थाना मधुबन जनपद मऊ।
4. घुरा कनौजिया पुत्र शंभु धोबी निवासी भरथिया थाना मधुबन जनपद मऊ।
5. सन्नी कुमार पुत्र पतिचन्द्र कनौजिया निवासी नेवादा थाना मधुबन जनपद मऊ।
6. अभिषेक राजभर पुत्र मानदेव राजभर निवासी गांगेबीर थाना मधुबन जनपद मऊ।
7. भोलू पुत्र नीबूलाल निवासी गांगेबीर थाना मधुबन जनपद मऊ।
8. जमील अहमद पुत्र वलीजान अहमद निवासी गांगेबीर थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. तास के 52 पत्ते।
2. कुल 2441 रुपये।
3. 08 मोबाईल फोन।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के आयुद्ध अधिनियम में उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹2,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03-09-2024 को मु0अ0सं0 394/1997 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त चंद्रगेश पुत्र बसंत मल्लाह निवासी लौवासाथ थाना मधुबन जनपद-मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रिया सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के आबकारी अधिनियम में उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03-09-2024 को मु0अ0सं0 013/2018 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक कुमार भल्ल पुत्र सुरेश कुमार भल्ल निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रिया सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।